भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2873

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कोयला आयात को कम करने की रणनीतियाँ

2873. श्री अजेन्द्र सिंह लोधी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं और यदि हां, तो इन पहलों के परिणामस्वरूप उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि तथा वर्ष 2030 तक सरकार के उत्पादन लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश अभी भी बड़ी मात्रा में कोयले का आयात कर रहा है और यदि हां, तो आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने तथा उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और कोयला गैसीकरण के संवर्धन के तहत वर्तमान में स्वीकृत, निर्माणाधीन और परिचालन में मौजूद कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क): जी हां, सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं जो निम्नानुसार हैं -

i. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनिज (कोयले सहित) उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम बनाता है।

ii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल की स्थापना।

iii. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया है।

iv. राजस्व साझाकरण के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम पेशकश पर 50 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

v. वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन और शर्तें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती हैं और नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देती हैं। अग्रिम राशि कम कर दी गई है जिसे मासिक भुगतान के साथ समायोजित किया जा सकता है, दक्षता मानदंड उदार हैं, जो कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करते हैं और नीलामी पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित की जाती है। स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व साझाकरण मॉडल का प्रावधान मौजूद है।

(II) कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक दो-आयामी दृष्टिकोण निष्पादित कर रहा है जो नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के शीघ्र प्रचालन के साथ-साथ मौजूदा प्रचालनात्मक खानों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है।

ii. ईआईए अधिसूचना, 2006 के पैरा 7 (ii) (क) के तहत पर्यावरण मंजूरी (ईसी) में वृद्धि के माध्यम से भी क्षमता विस्तार किया जा रहा है, जो मौजूदा परिसर/खान पट्टा क्षेत्र के भीतर, अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के बिना, जहां भी संभव हो, 50% तक विस्तार के लिए है।

iii. भू-खनन स्थितियों के आधार पर भूमिगत और ओपनकास्ट खानों में मैन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों (एमपीटी) को अपनाकर खान प्रचालनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हाईवॉल (एचडब्ल्यू)

खानों, उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डंपरों, सर्फेस माइनर्स के उपयोग से दक्षता में काफी सुधार होता है।

iv. क्षमता संवर्धन के लिए एमडीओ मार्ग भी अपनाया गया है जिसके तहत लगभग 244 एमटीवाई की क्षमता वाली 31 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। 8 एमडीओ परियोजनाएं प्रचालन चरण में हैं।

v. झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 7 प्रमुख रेल लाइन परियोजनाएं मौजूदा नेटवर्क में भीड़-भाड को कम करने और विश्वसनीय निकासी के लिए शुरू की गई हैं।

vi. एससीसीएल में 6 नई खानें खोली जा रही हैं और 2 मौजूदा खानों का विस्तार किया गया है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, कोयला उत्पादन लगातार दो वर्षों से एक बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन और वर्ष 2029-30 तक का उत्पादन अनुमान नीचे दिया गया है: -

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोयला उत्पादन			उत्पादन अनुमान			
	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
मात्रा	997.83	1047.52	1040.08	1112.00	1378.14	1449.75	1533.04

(ख): देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी कोयला उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती है। कोयले के आयात में मुख्य रूप से कोकिंग कोयला (इस्पात उद्योग द्वारा) और उच्च ग्रेड के गैर-कोकिंग कोयला जैसे आवश्यक आयात शामिल हैं क्योंकि उनका घरेलू उत्पादन या तो दुर्लभ भंडार या अनुपलब्धता के कारण सीमित है। विद्युत संयंत्र मुख्य रूप से (i) आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता, जिन्हें विशेष रूप से आयातित कोयले का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, के कारण और (ii) घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) विद्युत संयंत्रों द्वारा सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले का आयात करते हैं। पिछले तीन वर्षों और वित्त वर्ष 2026-27 (अप्रैल-मई, 26) के दौरान किया गया कोयले का आयात निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोकिंग कोयला	गैर-कोकिंग कोयला	कुल आयात
2023-24	58.81	205.72	264.53
2024-25	57.58	186.05	243.62
2025-26	66.33	180.04	246.37
2025-26 (अप्रैल-मई, 25)	11.32	38.00	49.32
2026-27 (अप्रैल-मई, 26)	11.99	30.70	42.69
अप्रैल-मई (2025-26) के संदर्भ में अप्रैल-मई (2026-27) में बदलाव का %	5.90 %	-19.20 %	-13.44 %

(I) कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) को ऐसे मामलों में मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है, जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों) के 90 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) के 70% तक कम कर दिया गया था।

ii. गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के माध्यम से, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोयला लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत क्रय करार (पीपीए) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तर कुछ भी हों।

iv. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया था। आईएमसी के निर्देश पर, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयले के आयात को ट्रैक करने में मंत्रालय को सक्षम बनाने के लिए एक आयात डेटा प्रणाली विकसित की गई है।

v. घरेलू कोकिंग कोयले की खपत बढ़ाने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयला का उपयोग करते हुए इस्पात' सृजित किया गया है, जिससे कोकिंग कोयला के आयात में कमी आएगी।

vi. कोकिंग कोयला के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोयला की आपूर्ति बढ़ाने हेतु कोकिंग कोयला मिशन प्रारंभ किया गया है।

vii. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

viii. मौजूदा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले का 100 प्रतिशत खरीदने के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

(II) इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू कोयले, विशेष रूप से कोकिंग कोयला के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की मौजूदा खानों से कोयला उत्पादन बढ़ाना।

ii. निजी क्षेत्र के साथ राजस्व साझा करने के एक नए नवाचार मॉडल पर 11 बंद कोकिंग कोयला खानों की पेशकश की गई।

iii. 15 (मिलियन टन प्रति वर्ष) एमटीपीए की रेटेड क्षमता के साथ नई कोकिंग कोयला खानों (वि.व. 2029-30) के प्रचालन द्वारा उत्पादन बढ़ाना।

(III) धुले हुए कोकिंग कोयला का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:

i. 19.70 एमटीपीए की संयुक्त प्रचालन क्षमता के साथ 10 कोकिंग कोयला वाशरी कार्यरत हैं।

ii. वर्ष 2029-30 तक 19.50 एमटीपीए की क्षमता वाली 07 कोकिंग कोयला वॉशरियों की स्थापना।

iii. 4.23 एमटीपीए तक वाशिंग क्षमता बढ़ाने के लिए तीन (3) पुरानी वाशरियों का मुद्रीकरण।

iv. सीआईएल के पास उपलब्ध कोकिंग कोयला के परिष्करण के लिए टाटा स्टील लिमिटेड जैसी निजी कंपनियों की वाशरियों की निष्क्रिय धुलाई क्षमता का उपयोग।

v. वाशिंग क्षमता में सुधार के लिए 4 पुरानी वॉशरियों (7.1 एमटीपीए) का नवीनीकरण।

(घ): दिनांक 24.01.2024 को स्वीकृत ₹8,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के तहत, कुल आठ (8) कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें सरकारी क्षेत्र की तीन परियोजनाएं, निजी क्षेत्र की तीन परियोजनाएं और दो लघु स्तर की उत्पाद-आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। कैपेक्स के 15% के वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई है। मैसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड (जेएसएल) की एक परियोजना ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है और यह निर्माण चरण में है, जबकि शेष परियोजनाएं वित्तीय समापन, सांविधिक स्वीकृति, प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने, निविदा और परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

उपर्युक्त के अलावा, निजी क्षेत्र की कंपनी मैसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड के पास लगभग 8 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) क्षमता की एक प्रचालनात्मक कोयला गैसीकरण परियोजना है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के पास 2.6 एमटीपीए की कोयला गैसीकरण परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।
